भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1715

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

ओडिशा में श्रमिकों का कल्याण और रोजगार सृजन

1715. श्री अनन्त नायक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में श्रमिकों के कल्याण और रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा अब तक क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं;

(ख) ओडिशा के खनन क्षेत्रों, विशेषकर क्योंझर, सुंदरगढ़ और अंगुल जिलों में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ओडिशा में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कोई विशेष नीति या योजना क्रियान्वित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बिंदु क्या हैं; और

(ङ) एमएसएसई (सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को बढ़ावा देकर ओडिशा में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड़): रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार ओडिशा सहित सभी के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

जारी ....पृष्ठ 2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से नौकरी की खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों आदि संबंधी जानकारी आदि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनएससी) परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है । एनएससी को निजी और सरकारी क्षेत्र की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की जानकारी सहित करियर संबंधी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में परिकल्पित किया गया है।

वर्ष 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, सरकार ने खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना के लिए प्रावधान किया है। अब तक, ओडिशा सहित देश के 23 राज्यों के 645 जिलों में डीएमएफ स्थापित किए गए हैं जिन्होंने डीएमएफ नियम बनाए हैं।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (एमपीकेकेकेवाई) डीएमएफ के तहत एकत्रित निधियों के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण और विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रदान करती है। पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024 में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (पेयजल आपूर्ति; पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय; स्वास्थ्य देखभाल; शिक्षा; महिलाओं और बच्चों का कल्याण; वृद्धों और विकलांग लोगों का कल्याण; कौशल विकास और आजीविका सृजन; स्वच्छता; आवास; कृषि और पशुपालन) में कम से कम 70% धनराशि का उपयोग की शर्त रखी गई है और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (भौतिक अवसंरचना; सिंचाई; ऊर्जा और वाटरशेड विकास; और खनन जिले में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय) के लिए 30% तक का उपयोग करने का प्रावधान है। क्योंझर, सुन्दरगढ़ और अंगुल जिलों में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या क्रमश 3216, 6406 और 5362 है। क्योंझर, सुंदरगढ़ और अंगुल जिलों में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या क्रमशः 3216, 6406 और 5362 है।

केन्द्र सरकार भी ओडिशा राज्य सहित देश में कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में (i) आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), (ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), (iii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (iv) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम), (v) बीड़ी/सिने और गैर-कोयला खदान कामगारों के लिए श्रम कल्याण योजना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, (vi) कर्मचारी राज्य बीमा योजना, (vii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (viii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, (ix) प्रधानमंत्री

आवास योजना, (x) गरीब कल्याण रोजगार अभियान, (xi) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, (xii) दीन दयाल अंत्योदय योजना, (xiii) पीएमस्वनिधि, (xiv) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शामिल हैं।

प्रवासी कामगारों के हितों के रक्षोपाय करने के लिए, संसद ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस प्रदान करने आदि का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय आवास, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि का भुगतान प्रदान किया जाना है, इसे व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में शामिल किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यमों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके प्रारम्भ से, अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2024-25 (04.03.2025 तक), 9.99 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को अनुमानित 81.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए 26,569.83 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है। कुल इकाइयों का लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गयी थी और 20% इकाइयां शहरी क्षेत्रों में स्थापित की गई थीं। ओडिशा में, 46,162 सूक्ष्म उद्यमों को 1,088.95 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी से सहायता प्रदान की गई है, जिससे अनुमानित 3,57,049 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

****